न्यायालय , अंचल अधिकारी , बानो ।

वादी - शनिचारो देवी, पति स्व. मंगरा नायक
साकिन - ग्राम

वाद सं० – 01/2024-2025
ग्राम– बानो
प्रतिवादी - 16 आना (ग्रामीण [illegible])
वाद का प्रकार– सिविल पंजी II सुधार वाद
अंचल – बानो
अनुमण्डल /जिला– सिमडेगा

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12.03.2025	संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत अंचल निरीक्षक के माध्यम से निम्नांकित भूमि का लगान ऑनलाईन करने हेतु प्रतिवेदन दिया गया है।	

भूमि का तफसील

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
बानो	59	215	2707 2722	0.4 $\frac{1}{2}$ ए० 0.16 ए०	परती जदीद टांड दोन

विषयगत भूमि के बावत राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका शनियारो देवी पति– स्व० मंगरा नायक ग्राम–बानो के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक मे जाँचोपरात स्पष्ट हुआ कि आवेदित भूमि सर्वे के अनुसार रैयती है। जिसका ऑनलाईन पंजी ii में भाग ii पृष्ट सं० 220 पर जमाबंदी खाता सं० 215 अन्तर्गत पति नायक वो रति नायक पिता– रोटो नायक के नाम से कायम है। परन्तु प्लॉट एवं रकबा अंकित नही है जिसके लिए आवेदिका द्वारा लिखित अनुरोध किया गया है। भूमि पर आवेदिका का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा कोई विवाद नही है। प्रश्नगत भूमि को ऑनलाईन लगान दर्ज करने हेतु राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा किया गया है। अंचल निरीक्षक का मन्तव्य अंकित है। प्रश्नगत भूमि के बाबत संबंधित आवेदकों को नोटिस निर्गत करें एवं आम इश्तहार भी निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28.03.2025 को रखें।

(हस्ताक्षर) 12/3/25
अंचल अधिकारी
बानो।

28.03.25 अभिलेख उपस्थापित। वादी उपस्थित एवं हाजिरी दाखिल। आवेदिका शनिचारो देवी पति स्व० मंगरा नायक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदित भूमि हमलोगों का खतियानी भूमि है जो मेरे पति स्व० मंगरा नायक के पिता स्व० रति नायक एवं मेरे पति के [illegible] चाचा पती नायक

शनिचारो देवी

दोनों

दोनों के पिता स्व० <s>बोर्ड</s> नायकु चौधरी खंडित पाडक साकिन देह का हिस्सा बराबर कर दर्ज है जो खतियान के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है। संबंधित खतियान की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। संलग्न खतियान में विषयगत भूमि स्पष्ट रूप से अंकित है। आवेदित भूमि के बावत आवेदिका को नोटिस / आम इश्तहार निर्गत किया गया है जिसका तामिला किया गया। तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।

रा. उप. नि० / अं. नि. द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि में दो अंशदार है जिसमें दोनों पति नायक एवं रती नायक की मृत्यु हो चुकी है। रति नायक जिनके एक मात्र पुत्र मंगरा नायक है, की मैं धर्म-पत्नी हूँ। मेरे पति मंगरा नायक की पुर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। तथा जो समान अंशदार स्व० पति नायक के पुत्र एक मात्र पुत्र सावन नायक का नावल्द मृत्यु हो गई है। स्व० सावन नायक का कोई सन्तान पुत्र या पुत्री नहीं है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण विषयगत भूमि का हकदार आवेदिका शमिमाती देवी है। शमिमाती देवी का एक मात्र पुत्री है जो विवाहित है। <s>आम</s> इश्तहार किया गया है जिसमें किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है। <s>आम</s> इश्तहार में आवेदिक सहित आम ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी अंकित है। पुर्व से आन लाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-220 Vol. II पर सावना नायक वो रती नायक के नाम से जमाबंदी कायम है।

भेज- आफ- लाईन से ऑन लाईन किये जाने हेतु आवेदिका द्वारा अनुरोध किया गया है। किये गये अनुरोध के आलोक में रा० उप० निरी० एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा किया गया है।

उक्त भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में भूमि का मापी वो सीमांकन कर मापी प्रतिवेदन की मांग करें एवं अभिलेख दिनांक 07.4.25 को लावें।

28.3.25
अंचल अधिकारी
का गो

.4.25 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अंचल अमीन मापी वो सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त जो अभिलेख में संलग्न है। अभिलेख ~~[illegible]~~ में संलग्न रा० उप० निरी०। अं० नि०। अंचल अमीन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका प्रश्नगत भूमि का एकमात्र हकदार है। ~~[illegible]~~ साथ ही अंचल अमीन द्वारा भी दखल के संबंध में प्रतिवेदन दिया जाता है जो मूल में संलग्न है। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि ~~[illegible]~~ वादी रानियारो देवी पति स्व० मंगाए नायक का ही है और भूमि में कोई विवाद नहीं है किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है। प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि पर आवेदिका का दखल कब्जा है जिसे पूर्व में बटाई में किया जाता था वर्तमान में भूमि परती है और किसी का कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अभिलेख में संलग्न कागजात, रा० उप० निरी० / अं० नि० के द्वारा जाँच प्रतिवेदन व अनुशंसा एवं अंचल अधि० के प्रतिवेदन के आलोक में प्रश्नगत भूमि को ऑन लाईन करने हेतु आदेशित किया जाता है। तथा इसी निष्कर्ष के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

07.04.25
अंचल अधिकारी
कांके

Digitally signed by Naimuddin Ansari
Date: 2025.12.03 12:59:38 +05:30
Location: 10.189.189.182

Scanned with OKEN Scanner